प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 752 सन 2021
अनवान :–

1. हरस्वरूप पुत्र श्योचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हरवंश लाल पुत्र श्योचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीगंगानगर हाल नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 451 की कुल 5.1590है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी वादी के पूर्वजों के पास ग्राम बाल्डा हेडी एवं रोही मौजा दलपतपुरा में दर्ज थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है वादी के पूर्वजों ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया गया था जिसमे वादी को रोही मौजा दलपतपुरा एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बाल्डा हेडी की भूमि प्राप्त हुई थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है किन्तु वादी को परिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी अपने परिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर रोही मौजा बाल्डा हेडी की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि वादी को प्राप्त हुई थी इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।एवं पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 451 की कुल 5.1590हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व मे उनके पूर्वजों के नाम दर्ज थी वादी के पूर्वजों ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो सगे भाई है के मध्य बाहमी बटवारा परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को बाल्दा हेडी की भूमि प्राप्त हुई थी एवे रोही मोजा दलपतपुरा की भूमि वादी को प्राप्त हुई थी इसी अनुसार वादी वाद भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक समझौता में रोही मोजा दलपतपुरा की भूमि वादी को प्राप्त हुई है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 451 की कुल 5.1590हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरस्वरूप पुत्र श्योचन्द जाति ब्राहम्ण निवारी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हरबंश लाल पुत्र श्योचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीगंगानगर हाल नोहर तहसील नोहर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 752 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में सुश्री श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 451 की कुल 5.1590हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner